माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति सूचना वर्ष 2023–24

अध्यापक कल्याण कोष न्यास द्वारा प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक/शिक्षिका के आश्रितों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा यथा–मेडिकल, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, वेट्रीनरी, बी.एड., एम.एड., एम.बी.ए., एल.एल.बी., पी.एच.डी., पॉलीटेक्निक, एस.टी.सी., कम्प्यूटर साइंस, एम.सी.ए. तथा महाविद्यालय पाठ्यक्रमों में नियमित अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है। न्यास द्वारा वर्ष 2023–24 की छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. बोर्ड की सैकण्डरी/सी.सैकण्डरी स्तर की उत्तरपुस्तिका जाँचने हेतु परीक्षक के रूप में पंजीकृत सेवारत शिक्षक/शिक्षिका जो कम से कम 05 वर्ष से अध्यापन कार्य में संलग्न है तथा कम से कम 02 वर्ष तक सैकण्डरी/प्रावेशिका/उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय कक्षाओं से संबंधित हो अथवा रहे हों एवं साथ ही बोर्ड की उत्तरपुस्तिका जाँचने हेतु कम से कम तीन बार परीक्षक का कार्य किया हो, के नियमित अध्ययनरत पुत्र/पुत्री पत्नी/पति ही 10 माह के लिए छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे।
2. सेवारत शिक्षक/शिक्षिका एवं उसके परिवार की समस्त संसाधनों से वार्षिक आय रूपये 14,00,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. सेवारत शिक्षक/शिक्षिका के परिवार में अधिकतम दो आश्रितों को छात्रवृत्ति देय होगी, किन्तु एक सत्र में केवल एक ही आश्रित की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। एक सत्र में एक से अधिक आवेदन करने पर समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेगें।
4. छात्रवृति एक सत्र हेतु ही दी जाएगी। अगले सत्र पुनः आवेदन करना होगा।
5. बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर TWF Scholarship लिंक पर अपनी Employee ID व मोबाईल नम्बर से लॉगिन कर **अंतिम तिथि 25.10.2024 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत** कर सकते हैं।
6. मोबाईल नम्बर दर्ज नहीं होने की दशा में कार्यालय की हेल्पलाईन 0145–2632866, 2632867, 2632868 पर मोबाईल नम्बर सूचित कर अंकित करा सकते है।
7. विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

   निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त अंतिम रूप से मुद्रित होकर प्राप्त **आवेदन पत्र (Hard Copy) मय संलग्नकों के दिनांक 10.11.2024 तक** इस कार्यालय में अवश्य पहुँच जाने चाहिए। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे निरस्त कर दिया जाएगा।

सचिव